राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 360/2014

बनवारी लाल मीणा –अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, माध्यमिक शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
3. उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, करौली।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 29.04.2014
आदेश की दिनांक :

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : अधिवक्ता अनुपस्थित
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी ने बी.एससी. बी.एड. की योग्यता धारित करने के आधार पर वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद के लिए आवेदन किया और उसे आदेश दिनांक 23.08.2001 (अनुलग्नक–1) द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (गणित) के पद पर नियुक्ति दी गई। अपीलार्थी ने दिनांक 08.09.2001 को अपना कार्यभार ग्रहण किया और बाद में दिनांक 08.01.2003 से उसका स्थायीकरण किया गया। नियुक्ति के समय अपीलार्थी के पास बी.एससी., बी. एड. की योग्यता थी। अपीलार्थी ने विभाग की अनुमति से वर्ष 2003 में एम. एससी. (भौतिक विज्ञान) किया। अपनी एम.एससी (भौतिक विज्ञान) की योग्यता का अंकन स्थायीकरण हेतु प्रस्तुत प्रपत्र में किया एवं समय–समय पर पंजीकृत डाक से प्रत्यर्थी विभाग को विभिन्न अभ्यावेदनों द्वारा सूचित किया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 29.08.2004 (अनुलग्नक–3) द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण राजकीय माध्यमिक विद्यालय, वेदू, जिला जोधपुर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय, डबरा, जिला करौली में किया गया, जिससे अपीलार्थी की इन्टर डिवीजन वरिष्ठता वर्ष 2004–05 में बदल गयी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा जारी आदेश दिनांक 24.05.2013 (अनुलग्नक–4) द्वारा वरिष्ठ अध्यापक (गणित) को डीपीसी के माध्यम से स्कूल व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) के पद पर पदोन्नत किया गया। लेकिन अपीलार्थी का नाम पदोन्नति सूची में शामिल नहीं

किया गया था। जबकि अपीलार्थी से कनिष्ठ उम्मीदवारों को प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पदोन्नत किया गया है। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर वरिष्ठता सूची में नाम जोड़ने हेतु निवेदन किया। अपीलार्थी ने अपनी परिवेदना का उल्लेख करते हुए दिनांक 01.03.2014 (अनुलग्नक–5) द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग का नोटिस प्रस्तुत किया, परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपीलार्थी को दिनांक 22.08.2001 को वरिष्ठ शिक्षक (गणित) के पद पर नियुक्त किया गया था और उसने वर्ष 2003 में एम.एससी. (भौतिक विज्ञान) की योग्यता प्राप्त कर ली। तदनुसार अपीलार्थी पदोन्नति का पात्र था, परन्तु प्रत्यर्थी विभाग ने बिना किसी कारण अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया। प्रत्यर्थी विभाग ने वर्ष 2011–12 से वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध स्कूल व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) के पद पर पदोन्नति हेतु अस्थाई वरिष्ठता सूची जारी की, जिसमें जो कार्मिक पदोन्नति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करते एवं विचारण सीमा में आते हैं, उन्हें शामिल किया गया। उक्त वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का नाम शामिल नहीं होने की जानकारी प्राप्त होने पर अपीलार्थी ने एम.एससी (भौतिक विज्ञान) की योग्यता वरिष्ठता सूची में अंकित नहीं है, अपीलार्थी ने तत्काल एम.एससी (भौतिक विज्ञान) की योग्यता वरिष्ठता सूची में जोडने हेतु अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, परन्तु तत्समय कोई कार्यवाही नहीं की गई। बाद में आदेश दिनांक 03.06.2013 द्वारा उसकी एम.एससी (भौतिक विज्ञान) की योग्यता को सेवा अभिलेख एवं वरिष्ठता सूची में जोडा गया। आलोच्य आदेश दिनांक 24.05.2013 द्वारा अपीलार्थी के पात्र होने के उपरांत पदोन्नति नहीं करके कनिष्ठों को वर्ष 2011–12 से वर्ष 2012–13 की रिक्तियों के विरूद्ध पदोन्नत करने की कार्यवाही गैर कानूनी, अन्यायपूर्ण, अनुचित, मनमानी एवं नियम व कानूनी प्रावधान के विपरीत है।

2. अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे कि एमएससी (भौतिक विज्ञान) की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अपीलार्थी को स्कूल व्याख्याता (भौतिक विज्ञान) की पदोन्नति के लिए विचार किया जावे एवं पदोन्नति आदेश दिनांक 24.05.2013 के अनुसार अपीलार्थी को उस तिथि से पदोन्नति प्रदान की जावे, जिस तिथि से उससे कनिष्ठ व्यक्तियों को पदोन्नति प्रदान की गई है एवं साथ ही समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावे।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी का विवाद द्वितीय श्रेणी अध्यापक की जारी वरिष्ठता सूची तथा व्याख्याता भौतिक विज्ञान विषय के पदोन्नति आदेश की दिनांक से जारी होने के साथ ही उत्पन्न हो गया था, लेकिन अपीलार्थी के द्वारा विभाग के समक्ष योग्यता दर्ज नहीं करवाई गयी और न ही माननीय अधिकरण के समक्ष अपील पेश की और 2014 में नोटिस के आधार पर अपील पेश की जिससे लगता है कि अपीलार्थी को यह भलीभाँति ज्ञात था। अपीलार्थी के द्वारा अपील लम्बे अन्तराल के बाद पेश की गयी अपीलार्थी के द्वारा समय रहते माननीय अधिकरण के समक्ष अपील पेश नहीं की। इसलिए भारतीय लिमीटेशन अधिनियम की धारा–05 एवं राजस्थान सिविल सेवा मामलों के लिये अपीलीय अधिकरण अधिनियम 1976 के प्रावधानों की धारा–09 के अनुसार इतने लम्बे समय के बाद माननीय अधिकरण के समक्ष विलम्ब के आधार पर इस प्रकार का प्रकरण प्रस्तुत नहीं किया जा सकता हैं। अजय सिंह बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि विलम्ब के अभाव में अपील खारिज कर देनी चाहिए। जो कि माननीय उच्च न्यायालय में धमेंद्र बनाम राज्य सरकार में स्पष्ट कर दिया है कि विलम्ब को क्षमा नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राजस्थान सरकार बनाम चन्दशेखर व अन्य के मामले में विलम्ब के आधार पर राज्य सरकार की अपील हाल ही में खारिज की थी। और माननीय अधिकरण के द्वारा जगरूप सिंह बनाम सरकार की अपील को मियाद बाहर होने के कारण खारिज की है।

4. अपीलार्थी का वरिष्ठता सूची अवधि 2004–05 में प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भौतिक के पद हेतु वर्ष 2012–13 तक की अवधि हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने की तिथि को नामांकन ही दर्ज नहीं था, अतः इनका नाम संबंधित पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना एवं इनके चयन पर विचार किया जाना किसी प्रकार से संभव नहीं था। अपीलार्थी का संबंधित वरिष्ठता सूची में नामांकन डीपीसी बैठक आयोजित किये जाने के उपरांत विभाग के आदेश दिनांक 26.12.2013 के द्वारा किया गया है। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के प्रावधानानुसार प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) भौतिक पुरूष वर्ग हेतु चयन वर्ष 2012–13 तक की रिक्तियों पर चयन हेतु आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित किये जाने की तिथि को अपीलार्थी से संबंधित द्वितीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद हेतु जारी वरिष्ठता सूची वर्ष 2004–05

में अपीलार्थी का नामांकन नहीं होने के कारण इन्हें पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाकर इनके चयन पर विचार किया जाना संभव ही नहीं था। अपीलार्थी का संबंधित वरिष्ठता सूची में नामांकन डीपीसी बैठक आयोजित किये जाने के उपरांत विभाग के आदेश दिनांक 26.12.2013 के द्वारा किया गया है। इस प्रकार इसमें कोई अनियमितता अथवा विधि विरूद्ध कोई कार्यवाही विभाग स्तर पर नहीं की गई है। राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के प्रावधानानुसार डीपीसी के समय संबंधित वरिष्ठता सूची में दर्ज नियमों में निर्धारित योग्यताधारक सभी पात्र अभ्यर्थियों की पात्रता सूची निर्मित की जाकर उसमें से पात्र अभ्यर्थियों का नियमानुसार चयन किया जाता है। चूंकि अपीलार्थी का संबंधित वरिष्ठता सूची में डीपीसी के समय नामांकन दर्ज ही नहीं था, अतः इनका नाम पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना संभव नहीं था।

5. इस प्रकार सभी मण्डल स्तर पर पहले अस्थाई वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाकर आपत्तियां आमंत्रित की जाती है, उसके पशचात् मण्डल स्तर पर स्थाई वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाती है, सभी मण्डल स्तर पर प्रकाशित वरिष्ठता सूचियों को मिश्रित किया जाकर संबधित अवधि हेतु राज्य स्तरीय अस्थाई वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाकर उस पर आपत्तियां आमंत्रित की जाती है, प्राप्त आपत्तियों का निराकरण करते हुये राज्य स्तरीय स्थाई वरिष्ठता सूची प्रकाशित की जाती है। अपीलार्थी द्वारा वरिष्ठता सूची में योग्यता दर्ज करवाने हेतु मण्डल स्तर अथवा राज्य स्तर हेतु प्रकाशित अस्थाई वरिष्ठता सूचियों के सम्बध में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी। क्योंकि प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) भौतिक के पद हेतु वर्ष 2012—13 तक की अवधि हेतु डीपीसी की बैठक दिनांक 31.03.2013 तक सम्पन्न की गई है। अपीलार्थी द्वारा संबंधित वरिष्ठता सूची में नामांकन करने के संबंध में कार्यवाही डीपीसी बैठक सम्पन्न होने के उपरांत की गई। जिसके आधार पर अपीलार्थी का नामांकन संबंधित राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची में नामांकन आदेश दिनांक 26.12.2013 के द्वारा किया गया है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

6. हमने प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

7. प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की नियुक्ति के समय बी.एससी—बी.एड की योग्यता धारित करते थे और वर्ष 2003 में एम.एससी (भौतिक विज्ञान) की परीक्षा उत्तीर्ण कर

ली। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी पदोन्नति आदेश दिनांक 24.05.2013 में अपीलार्थी की पदोन्नति नहीं होने पर उसके द्वारा एक अभ्यावेदन निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर को दिया गया। तत्पश्चात न्याय हेतु विधिक नोटिस भी प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 01.03.2014 को दिया गया। प्राध्यापक स्कूल शिक्षा भौतिक विज्ञान के पद हेतु वर्ष 2012–13 तक की अवधि हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित करने की तिथि तक अपीलार्थी की वरिष्ठता सूची में उसकी योग्यता एम. एससी (भौतिक विज्ञान) दर्ज नहीं थी। साथ ही वरिष्ठता सूची में अपीलार्थी का अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण करौली जिले में दिनांक 29.08.2004 को होने संबंधी विवरण भी दर्ज है। जिसके कारण अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित हो चुकी है। लिहाजा अपीलार्थी का नाम संबंधित पात्रता सूची में सम्मिलित किया जाना एवं इनके चयन पर विचार किया जाना संभव नहीं है।

8. उपलब्ध दस्तावेजात और उभयपक्ष के अभिकथनों से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी एम.एससी भौतिक विज्ञान की योग्यता को रिकॉर्ड में अंकित करवाने हेतु कोई आवेदन प्रत्यर्थी विभाग में आलोच्य पदोन्नति आदेश से पूर्व नहीं किया जाना पाया जाता है। जिस कारण उसकी शैक्षणिक योग्यता वरिष्ठता सूची में दर्ज नहीं हो पायी। साथ ही अर्न्तमण्डल स्थानान्तरण के कारण भी अपीलार्थी की वरिष्ठता प्रभावित हुई है। अपीलार्थी ने प्रथम बार दिनांक 01.03.2014 को अपनी एम.एससी भौतिक विज्ञान की योग्यता के संबंध में प्रत्यर्थी विभाग को सूचित किया गया एवं विभाग ने आदेश दिनांक 03.06.2013 द्वारा अपीलार्थी की योग्यता एम.एससी–2003 (भौतिक विज्ञान) जोडी गयी। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में अपीलार्थी की अपील में कोई सार नहीं होने के आधार पर अपील खारिज योग्य है। लिहाजा अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)